तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर **अपील संख्या– 06/2022 अंतर्गत धारा–76 एल.आर. एक्ट** **(GCMS No. 2022/25)** अनवानः 1. नजीरा पत्नि स्व. अली जाति मुसलमान निवासीगण चक 1 ए.डी. गांव आडूरी तहसील पूगल जिला बीकानेर। 2. गाणेखां पुत्र स्व. अली जाति मुसलमान निवासीगण चक 1 ए.डी. गांव आडूरी तहसील पूगल जिला बीकानेर। 3. समाने खां पुत्र स्व. अली जाति मुसलमान निवासीगण चक 1 ए.डी. गांव आडूरी तहसील पूगल जिला बीकानेर। 4. रहमान खां पुत्र स्व. अली जाति मुसलमान निवासीगण चक 1 ए.डी. गांव आडूरी तहसील पूगल जिला बीकानेर। 5. सबीरा खातुन पुत्री स्व. अली जाति मुसलमान निवासीगण चक 1 ए.डी. गांव आडूरी तहसील पूगल जिला बीकानेर। **.....अपीलांट्स** **बनाम** 1. कुदरत पत्नि अतुखां जाति मुसलमान निवासी गांव आडूरी तहसील पूगल जिला बीकानेर। 2. स्टेट जरिये तहसीलदार पूगल। 3. सरपंच ग्राम पंचायत आडूरी। **......रेस्पोडेंट्स**	
29.09.2022	अभिभाषक अपीलांट श्री जयचन्द लाल सारस्वत उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी अपील न्यायालय हाजा में उपखण्ड अधिकारी पूगल के निर्णय दिनांक 14.07.2021 के विरूद्ध दिनांक 20.12.2021 को पेश की, जो दिनांक 18.01.2022 को दर्ज रजिस्टर हुई। उक्त अपील में आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.11.2022 निर्धारित है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल के निर्णय दिनांक 14.07.2021 की पालना में तहसीलदार पूगल ने दिनांक 25.10.2021 को ही उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना कर दी, जिससे इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट न्यायहित में निष्प्रभावी हो जाने के कारण पर आज तारीख पेशी में ली जाकर फैसल फरमाई जावे।	

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल के निर्णय दिनांक 14.07.2021, जिसके द्वारा अपील तहसीलदार पूगल को प्रतिप्रेषित की गई थी, उक्त आदेश दिनांक 14.07.2021 की तहसीलदार पूगल ने दिनांक 25.10.2021 को पालना करते हुए आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार पूगल द्वारा उपखण्ड अधिकारी पूगल के अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने के कारण इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता। अतः अपील अपीलांट निष्प्रभावी होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर